विष्णुचरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसौर, रायगढ़ (छ.ग.)

-: महाविद्यालय में अध्यनरत छात्र, छात्राओं के लिए आचरण संहिता :-

सामान्य विषय :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्रव्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौज, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है । सरल निव्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।
9. महाविद्यालय में मोबाईल का अनावश्यक उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन सम्बन्धी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा एन सी. सी./एन. एस. एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होंगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा ।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तके प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।
5. व्याख्यान कक्षों प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोडफोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

परीक्षा सम्बन्धी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर कदाचरण माना जायेगा ।

महाविद्यालय शासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में ताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रू जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
3. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा ।
4. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

प्राचार्य

विष्णुचरण गुप्ता शास. महाविद्यालय, पुसौर, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

विष्णुचरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसौर, रायगढ़ (छ.ग.)

Ragging is a punishable offence

DON'T 'RAG'
ALSO
DON'T BE A MUTE WITNESS TO RAGGING

Any act resulting in:

Mental/Physical/Sexual abuse.

Verbal abuse

Indecent behaviour

Criminal intimidation/Wrongful Restraint

Undermining human Dignity

Financial exploitation/Extortion

Use of Force

Each of the above is a criminal offence.

A Student Indulging In Ragging Can Be:

Expelled from the institution

Banned from the mess/hostel

His/Her scholarship can be withdrawn

Debarred from examinations

Denied admission to any institution

Prosecuted for criminal action

Institutions have been asked to file FIR with local police against those who RAGIABET ragging.

JOIN HANDS TO MAKE YOUR CAMPUS RAGGING FREE.

Any Ragging Help line: Toll free: 1800-180-5522, 153